ऑनलाइन जाएँ

इस फॉर्म को जल्दी और आसानी से यहां भरा जा सकता है
gov.uk/register-to-vote

मत देने के लिए पंजीकरण कराएं

मत देने के लिए पंजीकरण कराना

आप मत देने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं यदि:

- यूके के निवासी हैं (आमतौर पर यहां रहते हैं) और आपकी उम्र 16 वर्ष या अधिक है (लेकिन आप 18 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक मतदान नहीं कर सकेंगे)।

यह भी जरूरी है कि आप या तो:

- एक ब्रिटिश, आयरिश अथवा यूरोपीय संघ के नागरिक हों, अथवा
- एक राष्ट्रमंडल नागरिक हों जिसके पास यूके में प्रवेश करने या बने रहने की अनुमति हो अथवा जिसे इस प्रकार की अनुमति की आवश्यकता न हो।

इस फॉर्म में मांगी गई समस्त जानकारी देना जरूरी है (जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो) अन्यथा आपके आवेदन में विलंब हो सकता है।

1 आपका नाम और पता

प्रथम नाम

कुलनाम

आपका पता

पोस्टकोड

क्या आप दूसरे पते पर भी रहते हैं? कृपया निशान लगाएं। ☐ नहीं ☐ हां

यदि हां, तो आपको यह पता हमें अभी देना जरूरी नहीं है लेकिन हम बाद में अधिक जानकारी मांग सकते हैं।

टेलीफोन नंबर (ऐच्छिक)

ईमेल (ऐच्छिक)

अपना ईमेल पता देने से आपके आवेदन के बारे में आपसे जल्दी और आसानी से संपर्क किया जा सकता है।

गलत जानकारी

यदि हमने कोई ऐसी जानकारी प्रिंट की है जो गलत है, तो कृपया उसे काट दें और सही जानकारी लिखें।

2 आपकी राष्ट्रीयता

यदि आपके पास एक से अधिक देशों की राष्ट्रीयता है, तो कृपया उन सभी देशों को शामिल करें।
(क्या आपको अपनी राष्ट्रीयता पता नहीं है? कृपया खंड 9 देखें)। (अधिक जानकारी पृष्ठ 4 पर)

3 क्या आपने पिछले 12 महीनों में घर बदला है?

कृपया निशान लगाएं। ☐ नहीं ☐ हां यदि हां, तो कृपया पूर्व पता लिखें जहां आप पिछले एक वर्ष के दौरान रहे हैं, अन्यथा आपके आवेदन में विलंब हो सकता है।

पोस्टकोड

यदि यह पता विदेश का है, तो क्या आप यूके में एक ओवर्सीज़ वोटर के तौर पर पंजीकृत थे? कृपया निशान लगाएं। ☐ नहीं ☐ हां

(Barcode goes here)

4 आपकी जन्म तिथि

दि दि | म म | व व व व

यदि आपको अपनी जन्म तिथि पता नहीं है, तो कृपया निशान लगाएं कि आपकी उम्र क्या है:

18 वर्ष से कम ☐ 18-75 वर्ष ☐ 76 वर्ष अथवा अधिक ☐

(क्या आपको अपनी जन्म तिथि पता नहीं है? कृपया खंड 9 देखें)। (अधिक जानकारी पृष्ठ 4 पर)

5 आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर

आपको यह अपनी वेतन-पर्ची पर, अथवा कर, पेंशन या लाभों से संबंधित शासकीय पत्रों पर मिलेगा।

(क्या आपको अपना नेशनल इंश्योरेंस नंबर पता नहीं है? कृपया खंड 9 देखें)।

6 क्या आपने अपना नाम बदला है?

कृपया हमें अपना सबसे हाल का पुराना नाम दें (ऐच्छिक)।

कृपया हमें वह तारीख बताएं जब आपने अपना नाम बदला (ऐच्छिक)।

दि दि | म म | व व व व

(अधिक जानकारी पृष्ठ 4 पर)

7 डाक या प्रतिनिधि द्वारा मतदान?

कृपया बताएं कि आप कैसे वोट देना चाहते हैं और हम आपको एक आवेदन पत्र भेजेंगे, या आप **electoralcommission.org.uk/voter** से एक आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मतदान केंद्र पर स्वयं वोट देने का इरादा रखते हैं तो यह खंड खाली छोड़ना चाहिए।

☐ डाक द्वारा ☐ प्रतिनिधि द्वारा (कोई व्यक्ति जो आपकी ओर से मतदान करेगा)

8 ओपन रजिस्टर

ओपन रजिस्टर चुनाव रजिस्टर का सार होता है, लेकिन इसका प्रयोग चुनावों के लिए नहीं किया जाता है। इसे कोई भी ख़रीद सकता है और नाम और पते के विवरण और प्रत्यक्ष विपणन उद्देश्यों की पुष्टि करने सहित कई उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

यदि आप ओपन रजिस्टर में अपना नाम और पता शामिल नहीं करवाना चाहते हैं, तो कृपया निशान लगाएं। ☐ (अधिक जानकारी पृष्ठ 4 पर)

9 क्या आपको अपनी राष्ट्रीयता, जन्म तिथि अथवा नेशनल इंश्योरेंस नंबर पता नहीं है? कृपया हमें बताएं कि ऐसा क्यों है

यदि आप हमें यह ब्यौरा नहीं दे सकते, तो हम आपके आवेदन पर कार्रवाई करने से पहले आपसे अन्य साक्ष्य प्रदान करने के लिए कह सकते हैं।

10 घोषणा

मैं वर्तमान में इस पते पर रहता/रहती हूं। मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, इस फॉर्म में दी गई जानकारी सत्य है।

मुझे मालूम है कि मेरे द्वारा इस फॉर्म में दी गई जानकारी का प्रयोग चुनाव रजिस्टर में किया जाएगा।

मुझे मालूम है कि यदि अपेक्षित होने पर मैं पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं करता(ती) हूं तो मुझ पर £80 का जुर्माना लगाया जा सकता है। मुझे मालूम है कि इस फॉर्म में जानबूझकर गलत जानकारी देना एक अपराध है और यदि दोष सिद्ध होता है तो मुझे छह महीने की कैद हो सकती है और/अथवा असीमित जुर्माना देना पड़ सकता है।

हस्ताक्षर

आज की दिनांक

दि दि | म म | व व व व

यदि यह फॉर्म भरने में आपको मदद चाहिए हो, तो कृपया पृष्ठ 1 पर दिए गए विवरण का प्रयोग कर हमसे संपर्क करें।

(Barcode goes here)

आपकी राष्ट्रीयता

आप यूके में केवल तब मतदान करने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं जब आप एक ब्रिटिश (जिसमें इंग्लिश, स्कॉटिश, वेल्श, या उत्तरी आयरलैंड के लोग शामिल हैं), आयरिश अथवा यूरोपीय संघ के नागरिक हों, अथवा ऐसे राष्ट्रमंडल नागरिक हों जिसके पास यूके में प्रवेश करने या बने रहने की अनुमति हो अथवा जिसे इस प्रकार की अनुमति की आवश्यकता न हो। हमें आपकी नागरिकता के बारे में और भी प्रमाण की आवश्यकता हो सकती है अथवा हम सरकारी रिकॉर्डों में आपकी राष्ट्रीयता या आप्रवासन की स्थिति की जांच कर सकते हैं। यदि आपके पास एक से अधिक देशों की राष्ट्रीयता है, तो कृपया उन सभी देशों को शामिल करें।

आपकी जन्म तिथि

यदि आपको अपनी जन्म तिथि पता नहीं है, तो कृपया वह तारीख बताएं जो आप शासकीय दस्तावेजों में लिखते हैं (उदाहरण के लिए, अपने पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस में) अथवा किसी एक बॉक्स में निशान लगाएं। आपकी जन्म तिथि से आपकी पहचान होती है, यह मतदान के लिए आपकी पात्रता की पुष्टि करती है और इसका प्रयोग करके लोगों को जूरी सेवा के लिए बुलाया जा सकता है।

क्या आपने अपना नाम बदला है?

उदाहरण के लिए, आपने विवाह किया हो और अपना नाम बदला हो। आपको हमें अपने नाम परिवर्तन का विवरण देना जरूरी नहीं है लेकिन इससे हमें आपकी पहचान करने में मदद मिलेगी। यदि यह जानकारी नहीं दी जाती है, तो आपको अतिरिक्त दस्तावेजी प्रमाण देने की आवश्यकता होगी।

ओपन रजिस्टर

दो रजिस्टर होते हैं। क्यों? जनता से प्राप्त जानकारी का प्रयोग करते हुए, पंजीकरण अधिकारी दो रजिस्टर रखते हैं - निर्वाचक रजिस्टर और ओपन रजिस्टर (इसे संशोधित रजिस्टर भी कहते हैं)।

निर्वाचक रजिस्टर में उन सभी लोगों के नाम और पते होते हैं जो सार्वजनिक चुनावों में मतदान करने के लिए पंजीकृत होते हैं। इस रजिस्टर का प्रयोग निर्वाचन या चुनाव के उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल पात्र लोग ही मतदान कर सकते हैं। इसका प्रयोग कानून में विनिर्दिष्ट किए गए अन्य सीमित प्रयोजनों से भी किया जाता है, जैसे कि:

- अपराध का पता लगाने के लिए (जैसे धोखाधड़ी)
- लोगों को जूरी सेवा हेतु बुलाने के लिए
- ऋण आवेदनों की जांच के लिए।

ओपन रजिस्टर चुनाव रजिस्टर का सार होता है, लेकिन इसका प्रयोग चुनावों के लिए नहीं किया जाता है। इसे किसी भी व्यक्ति, कंपनी अथवा संगठन द्वारा खरीदा जा सकता है। उदाहरण के लिए, इसका प्रयोग कारोबारी और धर्मार्थ संगठनों द्वारा नाम और पते के विवरण की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। आपका नाम और पता ओपन रजिस्टर में शामिल होगा जब तक आप उन्हें हटाने के लिए नहीं कहते। ओपन रजिस्टर से आपका विवरण हटाने से आपका मतदान करने का अधिकार प्रभावित नहीं होगा।

यदि आपको आशंका है कि रजिस्टर में आपका नाम या पता होने से आपकी सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, तो आपके लिए अन्य विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में, आप रजिस्टर में नाम और पता दिखाए बिना पंजीकरण करवा सकते हैं। अधिक जानने के लिए, कृपया अपने चुनाव पंजीकरण कार्यालय से संपर्क करें। आप उसका पता इस फॉर्म में पृष्ठ 1 पर देख सकते हैं। आप दोनों रजिस्टरों के बारे में तथा उनके प्रयोग के बारे में अधिक जानकारी **gov.uk/register-to-vote** पर देख सकते हैं।

गोपनीयता संबंधी कथन

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1983 और संबंधित नियमों में निर्धारण के अनुसार, हम जनहित में किए गए कार्य के कानूनी आधार के तहत जानकारी एकत्र करते हैं। हम निजी जानकारी की देखभाल सुरक्षित तरीके से करेंगे और डेटा सुरक्षा संबंधी कानून का पालन करेंगे।

यदि आपने ओपन रजिस्टर से ऑप्ट-आउट किया है, तो हम केवल चुनावी उद्देश्यों के लिए आपके द्वारा दी गई जानकारी का उपयोग करेंगे, जिसमें निर्वाचक रजिस्टर का समर्थन करने के लिए डेटा के अन्य स्रोतों के साथ मिलान करना शामिल है। हम किसी और को व्यक्तिगत जानकारी नहीं देंगे, जब तक कि कानून द्वारा आवश्यक नहीं है। जब आप क्रेडिट के लिए आवेदन करते हैं तो कानून के अनुसार आपकी पहचान की जाँच करने के लिए हमें लोकतांत्रिक सहभागिता उद्देश्यों के लिए उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और प्रचारकों के साथ और क्रेडिट संदर्भ एजेंसियों के साथ आपकी जानकारी साझा करने की आवश्यकता है।

अगर आपने ओपन रजिस्टर से ऑप्ट-आउट <u>नहीं</u> किया है, तो आपका नाम और पता किसी के भी द्वारा खरीदा जा सकता है और इसका उपयोग प्रत्यक्ष विपणन सहित बहुत सारे उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

चुनाव पंजीकरण अधिकारी ही नियंत्रक है: उनके पास एक नीति दस्तावेज़ होना चाहिए, जिसे गोपनीयता नोटिस नाम से जाना जाता है, कि वे व्यक्तिगत डेटा को कैसे संसाधित करते हैं। «Web 2» पर गोपनीयता सूचना पढ़ें
या एक प्रति के लिए हमसे संपर्क करें। «ERO name» «ERO address» «ERO telephone»

क्या इस फॉर्म के संबंध में कोई समस्या है?

यदि आपको इस फॉर्म को समझने या इसे भरने में कोई भी सहायता चाहिए हो अथवा यदि आपको यह फॉर्म बड़े प्रिन्ट में या दूसरे फॉर्मेट में चाहिए हो तो अपने चुनाव पंजीकरण अधिकारी से संपर्क करें। आपको इनके विवरण इस फ़ॉर्म के पृष्ठ 1 पर मिल जाएंगे।

(Barcode goes here)